1 आपराधिक प्रकरण कमांक 526/2015

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण कमांक 526 / 2015</u> संस्थापित दिनांक 28 / 07 / 2015

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

> > अभियोजन

बनाम

रामलखन श्रोती पुत्र निरंजन प्रसाद श्रोती उम्र 42 साल निवासी वार्ड नं02 ईदगाह गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 दीप उर्फ दीपक गप्ता पत्र स्व0 ओमप्रकाश गप्ता उम्र 39

दीपू उर्फ दीपक गुप्ता पुत्र स्व० ओमप्रकाश गुप्ता उम्र 39 साल निवासी वार्ड नं014 नगरपालिका के पास गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा– 294, 506 भाग–2, 352 एवं 458 भा0द0सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ–श्रीमती हेमलता आर्य।) (आरोपी दीपू गुप्ता द्वारा अधिवक्ता–श्री बी०एस० गुर्जर।) (आरोपी रामलखन द्वारा अधिवक्ता–श्री ए०बी० पाराशर।)

::- नि र्ण य -::

(आज दिनांक 14/11/2017 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 21/04/15 को रात्रि साढे 12 बजे नगरपालिका भवन के पास गोहद में सार्वजिनक स्थल पर फरियादी गजेन्द्र सिंह जादौन को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी गजेन्द्र सिंह जादौन को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने, फरियादी गजेन्द्र सिंह जादौन की मारपीट करने के लिए अमादा होकर हमला कारित करने एवं उसी समय फरियादी गजेन्द्र सिंह जादौन के निवासगृह में उपहित कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर रात्रौगृहभेदन कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 294, 506 भाग—2, 352 एवं 458 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 21.04.15 की रात्रि में फरियादी गजेन्द्र सिंह जादौन अपने घर पर सो रहा था रात्रि करीबन साढे बारह बजे उसके घर के बाहर से चिल्लाने की आवाजें आईं थीं तो वह बाहर गया था। बाहर जाकर उसने देखा था कि आरोपी रामलखन बंदूक लेकर स्मैक लेने के लिए दीपू गुप्ता एवं रानू गुप्ता के दरवाजे पर आवाजें लगा रहा था उसने रामलखन को चिल्लाने से मना किया था तो आरोपी रामलखन ने उसे मां बहन की गालियां दी थीं। जब उसने गाली देने से मना किया था तो थोड़ी देर बाद आरोपी रामलखन, दीपू गुप्ता एवं रानू गुप्ता तीनों उसके घर के अंदर मय बंदूक घुस आए थे तथा तीनों ने उसके साथ गाली गलौंच की थी एवं उसके साथ झूमा झटकी की थी उसने मना किया था तो आरोपीगण नहीं माने थे और उसे मारने के लिए झपट पड़े थे। उसने बंदूक पकड़ ली थी एवं जोर से आवाज लगाई थी तो पड़ौस के आलोक मुदगल, अनिल भारद्वाज एवं हसीफ खां आ गए थे। उसने बंदूक छुड़ा ली थी बंदूक के साथ कारतूस भी थे। फिर्यादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की गई थी फिरयादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अप०क0 106/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरणमें विचारण के दौरान फरियादी गजेन्द्र सिंह द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दवाब के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा0द0सं0 की धारा 294, 352 एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा आरोपीगण के विरूद्ध मात्र भादसं की धारा 458 के अंतर्गत विचारण शेष है।
- 5. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया हैकि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।
- 6. <u>इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :—</u>
- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 21/04/15 को रात्रि साढ़े 12 बजे नगरपालिका भवन के पास गोहद में फरियादी गजेन्द्र सिंह जादौन के निवासगृह में उपहित कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर रात्रीगृहभेदन कारित किया?
- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी गजेन्द्र सिंह जादौन आ0सा01, अनिल भारद्वाज आ0सा02, आलोक मुदगल आ0सा03 एवं हसीफ खां आ0सा04 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी गजेन्द्र सिंह जादौन अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 1 वर्ष पूर्व की है। उसका आरोपीगण से शोरगुल की बात को लेकर आपसी विवाद हो गया था आपसी विवाद में झूमा झटकी हुई थी जिसकी सूचना उसने थाना गोहद में दी थी उक्त रिपोर्ट प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती पंचनामा प्र0पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने बंदूक लेकर घर के अंदर घुसकर उसके साथ गाली गलौंच की थी एवं उसे जान से मारने की धमकी दी थी एवं व्यक्त किया है कि घटना घर के बाहर रास्ते पर हुई थी मुंहवाद हुआ था अन्य कोई बात नहीं हुई थी। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण से उसके सामने बंदूक एवं कारतूस जप्त हुए थे।

- 9. साक्षी अनिल भारद्वाज अ०सा०2, आलोक मुदगल अ०सा०3 एवं हसीफ खां अ०सा०4 ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। साक्षी अनिल भारद्वाज अ०सा०2 ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र०पी०3 के बी से बी भाग पर तथा आलोक मुदगल अ०सा०3 ने जप्ती पंचनामा प्र०पी०3 के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण बंदूक लेकर उनके सामने गजेन्द्र के घर में घुसे थे।
- 10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।
- 11. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी गजेन्द्र सिंह जादौन अ0सा01 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन उसका आरोपीगण से शोरगुल की बात को लेकर आपसी विवाद हो गया था विवाद में झूमाझटकी हुई थी मुंहवाद हुआ था अन्य कोई बात नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण बंदूक लेकर उसके घर के अंदर घुस आए थे तथा आरोपीगण ने घर के अंदर घुसकर उसके साथ गाली गलौंच की थी एवं उसे जान से मारने की धमकी दी थी तथा स्पष्ट किया है कि घटना घर के बाहर रास्ते में हुई थी। इस प्रकार फरियादी गजेन्द्र सिंह जादौन अ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा आरोपीगण द्वारा बंदूक लेकर उपहित कारित करने की तैयारी के साथ घर में घुसने के तथ्य से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण से रास्ते पर मात्र मुंहवाद हुआ था। शेष साक्षी अनिल भारद्वाज अ0सा02, आलोक मुदगल अ0सा03 एवं हसीफ खां अ0सा04 ने भी घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

- इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं फरियादी गजेन्द्र सिंह जादौन अ०सा०1 द्वारा 12. अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा आरोपीगण द्वारा बंदूक लेकर घर में घुसने के तथ्य से इंकार किया गया है शेष साक्षी अनिल भारद्वाज अ०सा०२, आलोक मुदगल अ०सा०३ एवं हसीफ खां अ०सा०४ द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षिति नहीं कराया गया है अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी गजेन्द्र सिंह जादौन के निवासगृह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर रात्रौगृहभेदन कारित किया। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरूद्ध अपना मामला प्रमाणित करे 13. यदि अभियोजन आरोपीगण के विरूद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।
- प्रस्त्त प्रकरण में अभियोजन आरोपीगण के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है 14. कि आरोपीगण ने दिनांक 21.04.15 को रात्रि साढे बारह बजे नगरपालिका भवन के पास गोहद में फरियादी गजेन्द्र सिंह जादौन के निवासगृह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर रात्रौगृहभेदन कारित किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी रामलखन एवं दीपू उर्फ दीपक गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में भा0द0सं0 की धारा 458 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं। 15.
- प्रकरण में आरोपी रानू गुप्ता फरार है। अतः प्रकरण का अभिलेख एवं जप्तशुदा संपत्ति सुरक्षित रखी जावे।

स्थान – गोहद दिनांक - 14 / 11 / 2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिकं मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / —
(प्रतिष्टा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
)
गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)